



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237177
CG-DL-E-07072022-237177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2977]
No. 2977]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3127(अ).—राष्ट्रपति ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों को भरने के लिए, राज्य सभा में चार सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :--

1. श्री इलयराजा
2. डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे
3. श्रीमती पिलावुलाकंडी थेक्केपरांबिल उषा
4. श्री वी.विजयेन्द्र प्रसाद

[फा. सं. एच.11024/03/2020-वि.2]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2022.

S.O. 3127(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that article, has nominated four members to the Council of States to fill the vacancies caused due to retirement of nominated members;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the following members nominated by the President are hereby notified for general information:—

1. Shri Ilaiyaraaja
2. Dr. Dharmasthala Veerendra Heggade
3. Smt. Pilavullakandy Thekkeyaparambil Usha
4. Shri V. Vijayendra Prasad

[F. No. H.11024/03/2020-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel